न्यायालय तहसीलदार परबतसर (नागौर) राजस्थान

प्रार्थी राज.सरकार जरिये पटवारी हल्का जंजीला

बनाम

अप्रार्थी :– श्री उगमाराम पुत्र सेवाराम जाति जाट निवासी ललाणाकलां

अन्तर्गत धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या 87 / 17

निर्णय दिनांक 09 / 11 / 2017

पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का जंजीला ने अप्रार्थी के विरूद्व टी.पी.रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि अप्रार्थी द्वारा सवत् 2074 में सरहद ललाणाकलां के खसरा नम्बर 294 किस्म गै.मु.रास्ता में रकबा 0.0065 है. भूमि में बाड़ लगाकर अतिक्रमण किया है। जिस पर वाद धारा 91 एल आर एक्ट 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को वास्ते वजह सबूत नोटिस दिया गया। अप्रार्थी की स्वंय से नोटिस तामिल हुआ जो शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी दिनांक 9.11.2017को उपस्थित रहा। अतिक्रमित भूमि के सम्बंध में लिखित कोई जवाब पेश नही किया गया अतः पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का मौजा ललाणाकलां के खसरा नम्बर 294 किस्म गै.मु.रास्ता में रकबा 0.0065 है भूमि पर अतिक्रमण किया है प्रस्तुत पटवारी रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी का मुतनाजा भूमि पर अतिक्रमण पाया गया है अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अत : अप्रार्थी द्वारा उक्त अतिक्रमित भूमि पर किये गये अतिक्रमण को मौके से बेदखल करने का आदेश पारित किया जाता है। लगान दर 1.रूपये प्रति हैक्टेयर की दर से अतिक्रमित रकबा 0.0065 है. भूमि के 1.रूपये लगान का 50 गुणा 50/– अक्षरे पचास रूपये बतौर जुर्माना कायम किया जाता है। जुर्माना की राशि तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी हल्का को मांग कायमी कर वसूली हेतु लिखा जावे। पटवारी हल्का को आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी को मौके से भोतिक रूप से बेदखल कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । बाद तकमील पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो।

तहसीलदार परबतसर